59

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी–3632/2018/उज्जैन/भू.रा.

1– वीरेन्द्रसिंह पिता श्री शंभूसिंह राजपूत
2– प्रेमसिंह पिता श्री शंभूसिंह राजपूत
3– शंभूसिंह पिता श्री दुलेसिंह राजपूत, निवासीगण–ग्राम भिड़ावद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म.प्र.)

-----पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1– श्रीमती शोभाकुंवर पति श्री नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत,
2– भोला पिता श्री दुलाजी
3– छगनलाल पिता श्री वरदाजी, निवासीगण–ग्राम भिड़ावद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म.प्र.)

-----उत्तरवादीगण

अभिभाषक श्री राहुल व्ही. विपट द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28/03/18 अधीक्षक 28.3.18 आयुक्त कार्यालय उज्जैन

294 28/3/18

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय महोदय,

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29/01/2018, जिसके द्वारा उन्होंने उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. को स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध एक अंतरिम आदेश पारित किया है, से असन्तुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के तथ्य

आवेदकगण/उत्तरवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक क्रं.–1/उत्तरवादी क्रं.–1 के नाम से

निरंतर....2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील / 3632 / 2018 / **उज्जैन** / भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-18	आवेदक अधिवक्ता श्री राहुल विपट द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार बड़नगर जिला उज्जैन के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण टीप अनुसार ग्राम भिड़ावद स्थित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चालू होने से धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	